

विषय-सूची

● प्रमुख धाराएँ एवं आदेश (Main Sections and Orders).....	3–6
● प्रमुख आदेश व नियम (Main Orders and Rules).....	7–14
● अध्याय-1	15–17
सामान्य (General)	
● अध्याय-2	18–21
प्रारम्भिक (Preliminary)	
● अध्याय-3	22–43
साधारणतः वादों के विषय में (Simply Regarding Suits)	
● अध्याय-4	44–54
निष्पादन (Execution)	
● अध्याय-5	55–57
आनुषंगिक कार्यवाहियाँ (Incidental Proceedings)	
● अध्याय-6	58–61
विशिष्ट मामलों में वाद (Suits in Particular Cases)	
● अध्याय-7	62–63
विशेष कार्यवाहियाँ (Special Proceedings)	
● अध्याय-8	64–65
अनुपूरक कार्यवाहियाँ (Supplemental Proceedings)	
● अध्याय-9	66–70
अपीलें (Appeals)	
● अध्याय-10	71–73
निर्देश, पुनर्विलोकन व पुनरीक्षण (Reference, Review and Revision)	
● अध्याय-11	74–76
उपबन्ध (Provisions)	
● अध्याय-12	77–82
प्रकीर्ण (Miscellaneous)	
● अध्याय-13	83–85
वाद की विरचना व मान्यता प्राप्त अभिकर्ता एवं प्लीडर (Frame of Suit and Recognised Agents and Pleaders)	
● अध्याय-14	86–88
लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा (Written Statement, Set-off and Counter-claim)	

● अध्याय-15	89–92
पक्षकारों की उपसंजाति और अनुपसंजाति का परिणाम (Appearance of Parties and Consequence of Non-appearance)	
● अध्याय-16	93–94
परीक्षा, प्रकटीकरण, स्वीकृतियाँ व दस्तावेज विधि (Examination, Discovery, Admissions and Documents Law)	
● अध्याय-17	95–97
विवादों का स्थिरीकरण व प्रथम सुनवाई में निपटारा एवं स्थगन (Settlement of Issues and Disposal of Suit at First Hearing and Adjournment)	
● अध्याय-18	98–99
वाद की सुनवाई व साक्षियों की परीक्षा एवं शपथ-पत्र (Hearing of Suit and Examination of Witness and Affidavits)	
● अध्याय-19	100–102
पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवाला (Death, Marriage and Insolvency of Parties)	
● अध्याय-20	103–104
वादों का प्रत्याहरण, न्यायालय में जमा किया जाना एवं खर्चों के लिए प्रतिभूति (Withdrawal of Suits, To deposit in Court and Security for Costs)	
● अध्याय-21	105–106
विभिन्न वादों की प्रक्रियाएँ (Procedure in Different Suits)	
● अध्याय-22	107–108
अवयस्कों व विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद (Suits By or Against Trustees Executors and Administrators)	
● अध्याय-23	109–112
निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद तथा अपीलें (Suits and Appeals by Indigent)	
● अध्याय-24	113–116
निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी व कुर्की एवं अस्थायी व्यादेश व अन्तर्वर्ती आदेश (Arrest and Attachment before Judgement and Temporary Injunctions and Interlocutory Orders)	
● अध्याय-25	117–118
रिसीवरों की नियुक्ति (Appointment of Receivers)	
● अध्याय-26	119–119
प्रकीर्ण (Miscellaneous)	
